भाकृअनुप-केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम, मेरठ

पत्रांक संख्या- एफ-5-3/2023-24/भण्डार/2362 दिनांक 09 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

सीपीआर आई वेबसाईट
शिमला

विषय- आँवले के पेडों पर लगी फलत की बिक्री हेतु कुटेशन आमंत्रित करने के संबंध में।

महोदय,

इस परिसर के मोदीपुरम रिसर्च यूनिट एवं पाबली प्रक्षेत्र पर निम्नलिखित ऑवले के पेडों पर लगी फलत की बिक्री होनी है। अतः इच्छुक क्रेता/ठेकेदार अपनी सील बंद कुटेशन इस कार्यालय में दिनांक 23-10-2023 दोपहर 12.30 बजे तक भेजने की व्यवस्था करें। देय तिथि एवं समय के बाद प्राप्त कुटेशन को स्वीकृत नहीं किया जायेगा। कुटेशन लिफाफे के ऊपर फलत का नाम, देय तिथि एवं आपका पूरा नाम व पता अंकित होना चाहिए। क्रेता को संलग्न नियम एवं शर्तो का पूर्ण रूप् से पालन करना होगा। कुटेशन उसी दिन दिनांक 23-10-2023 दोपहर 3.00 बजे समिति सदस्यों खोली जाएगी। आप अपने रेटस संलग्न वित्तीय विवरण प्रोफार्मा में भरकर जमा करें।

1-	मोदीपुरम रिसर्च यूनिट पर उपलब्ध कलमी किस्मों के ऑवले की फलत	लगभग 100 पेड
2-	पाबली प्रक्षेत्र पर उपलब्ध कलमी किस्मों के ऑवले की फलत	लगभग 70 पेड

भवदीय

मनीष मात
9/10/23
प्रभारी भण्डार

संलग्न- नियम एवं शर्ते तथा वित्तीय विवरण प्रोफार्मा

नयम एवं शर्तें-

1- प्रत्येक क्रेता को रूपये 20,000/- (रूपये बीस हजार मात्र) की धरोहर राशि का बैंक ड्राफट/NEFT/RTGS/UPI या अन ऑनलाईन बैंकिंग की मूल प्रति कुटेशन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। बैंक ड्राफट वरिष्ठ वैज्ञानिक, केन्द्रीय अ अनुसंधान संस्थान क्षेत्रीय केन्द्र, मोदीपुरम मेरठ के नाम भारतीय स्टेट बैंक, पल्हैडा कोड सं0- 3067 पर देय होना चाहि /NEFT/RTGS/UPI या अन्य ऑनलाईन बैंकिग माध्यम से जमा कराने हेतु विवरण निम्नवत है: बैंक का नाम-भारतीय स् बैंक, शाखा- पल्हैडा 3067, खाता संख्या-10172900089, आईएफएससी नं0-SBIN0003067।

2- मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र पर उपलब्ध आंवले के पेडों की फलत के लिए रेटस एक मुश्त धनराशि के रूप में अलग-अल यूनिट के हिसाब से संलग्न वितीय विवरण प्रोफार्मा में देने होंगे और अधिकतम बोलीदाता को यूनिट वार अवार्ड कि जायेगा।

3- रेटस अंकों एवं शब्दों में लिखे होने चाहिए।

4- पेडों पर लगी फलत का निरीक्षण मोदीपुरम रिसर्च यूनिट व पाबली यूनिट पर किसी भी कार्य दिवस के समय किया सकता है।

5- सशर्त कुटेशन स्वीकार नहीं की जायेगी।

6- माल जैसा है और जहाँ है के आधार पर तोडकर अपने वाहन से ले जाना होगा।

7- जिस क्रेता/ठेकेदार के रेटस ऑवले की फलत के सबसे ज्यादा होंगे उसी के ही रेटस/कुटेशन स्वीकार की जायेगी।

8- आदेश मिलने की तिथि से क्रेता को तीन दिनों के अन्दर 50% एवं एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण फलत का भुगतान कार्याल में जमा करना होगा। ऐसा न करने की स्थिति में कार्यालय में जमा धरोहर राशि अंकन रूपये 20,000/- जब्त कर जायेगी। भुगतान कैशलेस माध्यम से जैसे- बैंक ड्राफट/ऑनलाईन ट्रांसफर अथवा कार्यालय में उपलब्ध पीओएस मशीन माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। यदि उपरोकतानुसार क्रेता धनराशि जमा करने में असफल रहता है तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार होगा कि वे संबंधित क्रेता के रेटस को अस्वीकार मानते हुये कोई भी आगामी निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र होंगें।

9- सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान होने के बाद ही फलत को तोडने दिया जायगा।

10- दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह तक मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र के सभी पेडों की सारी फलत तुडाई करके अपने वाहन से जाना होगा अन्यथ की स्थिति में केन्द्र अपने स्तर से इसकी व्यवस्था कराने के लिये स्वतंत्र होगा और संबधित क्रेता को साल के लिये काली सूची में डालने के लिये स्वतंत्र होगा।

11- मण्डी शुलक तथा अन्य कोई कर देय होगा तो वह भी क्रेता को वहन करना होगा।

12- रेटस स्वीकार एवं ऑर्डर मिलने के पश्चात, सम्पूर्ण फलत की सुरक्षा करने की पूर्ण जिम्मेदारी क्रेता/ठेकेदार की होगी एवं प्रयोजन हेतु क्रेता को किसी भी प्रकार का ठिकाना बनाने एवं परिसर के अन्दर किसी भी प्रकार की व्यवसायिक गतिवि करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि क्रेता द्वारा इसका उल्लंघन किया जाता है तो संस्थान उसी समय अनुबन्ध निरस्त करने को स्वतंत्र होगा तथा यह निर्णय मानना ठेकेदार के लिये बाध्यकारी होगा।

13- आंधी, तुफान एवं अन्य कारणों से होने वाले नुकसान की पूर्ण जिम्मेदारीस्वयं क्रेता /ठेकेदार की होगी।

14- माल की बोरी में भराई तुलाई, सिलाई, ट्रक में लदाई व अन्य खर्चा यदि कोई होगा तो वह भी क्रेता को ही वहन करना हो

सिंचाई,पानी को छोड़कर कार्यालय द्वारा कोई यंत्र, कीटनाशक, कृषि रसायन, लेबर एवं बारदाना नहीं दिया जायेगा।

6- क्रेता को नियम एवं शर्तों तथा वित्तीय विवनरण प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर करने अनिवार्य है।

17- कर नियमों के अनुसार यदि कोई कर देय होगाततो उसकी भरपाई केता द्वारा ही की जायेगी।

18- कटिंग एवं ओवर राइटिंग की स्थिति में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।

19- किसी एक या सभी कुटेशनों को बिना कारण बताये संयुक्त निदेशक महोदय को रदद करने का पूर्ण अधिकार होगा।

20- किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय निदेशक महोदय, केन्द्रीय आलू अनुसंधान संस्थान,शि, हि0प्र0 का होगा जसे मानने के लिए सभी बाध्य होंगे।

मनोज मान
9/10/23
प्रभारी. भण्डार

वितरण-

1- सूचना पटट- मोदीपुर, पाबली सी0ब्लॉक एवं मछरी प्रक्षेत्र, के0आ0अनु0सं0क्षे0केन्द्र, मोदीपुरम।

वित्तीय विवरण प्रोफार्मा
Financial Bid

क्रम संख्या	फलत का नाम	प्रक्षेत्र का नाम जहॉ फलत उपलब्ध है	कलमी किस्मों के ऑवले पेडों की अनुमानित संख्या	एक मुश्त धनराशि के रूप में अलग-अलग यूनिट के हिसाब से रेटस दें
1-	कलमी किस्मों के आंवले की फलत	मोदीपुरम	लगभग 100 पेड	अंकों में रू0------------------ शब्दों में ----------------------
2-	कलमी किस्मों के आंवले की फलत	पाबली	लगभग 70 पेड	अंकों में रू0 ----------------- शब्दों में ----------------------

मैं एतदद्वारा यह घोषणा करता हूं कि मुझे आंवले की फलत की बिक्री हेतु दिये गये सभी नियम एवं शते स्वीकार हैं।

ठेकेदार का नाम ---------------------------------------

पता --

मोबाईल नम्बर ---------------------------------------

पैन कॉर्ड नम्बर ---------------------------------------

हस्ताक्षर ---